संख्या–619(2)/38–3–2012–17(अधि0)/2012

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3 लखनऊ::दिनांकः 15 मार्च, 2013

विषयः– ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों की व्यक्तिगत सेवा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु ग्रीवांस कमेटी का गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–बी–2083/स्था0–2/2012–13, दिनांक 29 नवम्बर, 2012 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–619/38–3– 2012–17 (अधि0)/2012, दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के जिला विकास कार्यालयों, विकास खण्ड कार्यालयों एवं क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के लिपिकीय कर्मचारियों की व्यक्तिगत सेवा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग में जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एवं मुख्यालय स्तर पर अपर आयुक्त (प्रशासन) की अध्यक्षता में दो ग्रीवान्स कमेटियों का गठन किया गया है।

2– उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4 में यह व्यवस्था की गयी थी कि दूसरी ग्रीवांस कमेटी प्रत्येक छमाही बैठक करेगी और प्रथम ग्रीवान्स कमेटी द्वारा रिफर किये गये प्रकरणो पर विचार कर निस्तारित करेगी।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि दूसरी ग्रीवांस कमेटी प्रत्येक त्रैमासिक बैठक करेगी और प्रथम ग्रीवान्स कमेटी द्वारा रिफर किये गये प्रकरणो पर विचार कर निस्तारित करेगी। कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4– इस सीमा तक शासनादेश संख्या–619/38–3–2012–17(अधि0)/2012, दिनांक 18 फरवरी, 2013 संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–619(1)/38–3–2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– समस्त जिलाधिकारी।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
3– समस्त जिला विकास अधिकारी।
4– समस्त खण्ड विकास अधिकारी।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

GO adhisthan SRIRAM